फर्द अहकाम

: रामसहाय बनाम कालूराम वर्मा।

ालय

ख्या 52/2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
17/8/22	प.सं. 3 प० तहसीलदार महोदय से तरमीम रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में अधिवक्ता उभयपक्षकार के विरुद्ध पर स्थित बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया गया। वादी का वाद तरमीम रिपोर्ट मौजा 22/7/22 के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। डिक्रीपर्चा जारी हो निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल रिकार्ड हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी जिला Signature Not Verified Digitally signed by Seema Khetan Date: 2022.10.06 15:26:51 IST Reason: SelfAttested	

लय उपखण्ड अधिकारी एंव उप जिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

ीन अधिकारी :— सीमा खेतान

सं. 52/2022

उनवान

1. रामसहाय पुत्र लिछमन उर्फ लक्ष्मण, जाति मीना, निवासी ग्राम झीडा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

—वादी—

बनाम

1. कालूराम पुत्र लक्ष्मण
2. गोरीलाल पुत्र नाथू
3. चन्द्रा पुत्र नाथू
4. मक्खन लाल पुत्र सीताराम
5. हरसहाय पुत्र भदया

   समस्त जाति मीना, निवासी ग्राम झीडा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
6. बसन्ती देवी पत्नी स्व. हनुमान
7. मोहन पुत्र स्व. हनुमान
8. कमलेश पुत्र स्व. हनुमान

   समस्त जाति मीना, निवासी ग्राम झीडा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार ज़रिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
10. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
11. सिंडिकेट बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा फतेहपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण—

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादीः— श्री नरेश मीणा
अधिवक्ता प्रतिवादीगणः— श्री सुनील उप्पल

निर्णय दिनांकः— 17.08.2022

पत्रावली पेश हुई। इस न्यायालय का आदेश दिनांक 09.06.2022 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार चौमू को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमू से दिनांक 22.07.2022 को कुरेजात प्राप्त हुए है। अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया।

अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में मौखिक आपत्ति कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 22.07.2022 बाबत करते हुए कथन किया है कि [illegible] आराजियात के पूर्व से पश्चिम सीमा तक लगवा थी। तहसीलदार चौमं से प्राप्त [illegible] जात [illegible] र्ट दिनांक 22.07.2022 में पश्चिम सीमा पर पीले रंग से शाम[illegible] पूर्वी सीमा पर प्रतिवादीगण की भूमि दर्शा दी गई है। जो [illegible] है। इसके जवाब मे अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपनी बहस मे कथन किया है कि पश्चि[illegible] सीमा पर कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 22.07.2022 में पीले रंग से शामलाती भूमि दर्शायी गयी है वह सभी खातेदारो के आने जाने हेतु शामलाती रास्ता है। जिसमें वादी का भी 1/6 हिस्सा दर्ज है एवं वादी के कुल आराजीयात में 1/6 हिस्सा में 0.17 हैक्टेयर भूमि हिस्से में आती है। जिसको कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 22.07.2022 में नीले रंग से दर्शाया गया है एवं शामलाती रास्ते में जो हिस्सा वादी को दिया गया है, वह वादी के हिस्से से भी अधिक भूमि दी गयी है एवं पूर्वी सीमा पर भूरे रंग से दर्शाया गया है। जिस पर प्रतिवादीगण का कब्जा है। जो वादी द्वारा कोर्ट ऑफ कन्टेम्प्ट की

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:26:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौमूँ, जिला जयपुर

ी उनवानी रामसहाय बनाम गौरीलाल प्रकरण संख्या 19/2022 में पेश फोटोग्राफ का कन करने से भी स्पष्ट है की उक्त भूरे रंग की भूमि पर प्रतिवादीगण का ही कब्जा है। वादी द्वारा की गई मौखिक आपत्ति सारहीन एवं मौका स्थिति के विपरित होने से खारिज जाती है तथा तहसीलदार चौमू से प्राप्त कुरेजात दिनांक 22.07.2022 मौका स्थिति के सार होने से स्वीकार की जाती है। अतः वादी का वाद तहसीलदार चौमू से प्राप्त कुरेजात ार्ट दिनाक 22.07.2022 के अनुसार स्वीकार किया जाकर पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से की किया जाता है कि विवादित भूमि खाता संख्या 243 के हाल खसरा नम्बर 586 रकबा 0. 2 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 611 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 612 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 613 रकबा 0.19 हैक्टेयर, कुल किता 4 का कुल रकबा 1.02 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम झीडा, पटवार हल्का विजयसिंहपुरा, भू.अभि.नि. क्षेत्र सामोद, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में स्थित है जिसका मुताविक कुरेजात तहसीलदार चौमू द्वारा खाता विभाजन खातेदारों के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

1. हरसहाय पुत्र भदया जाति मीना सा0देह खातेदार को खसरा नम्बर 586 रकबा 0.2550 हैक्टेयर कुल किता 01 का कुल रकबा 0.2550 हैक्टेयर, जो संलग्न नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
2. रामसहाय पुत्र लिछमन उर्फ लक्ष्मण जाति मीना सा0देह खातेदार को खसरा नम्बर 612 रकबा 0.0950 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 611/2 रकबा 0.0750 हैक्टेयर कुल किता 02 का कुल रकबा 0.1700 हैक्टेयर, जो संलग्न नजरी नक्शे में नीले रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
3. गोरीलाल पुत्र नाथू हिस्सा 13/22 चंद्रा पुत्र नाथू हिस्सा 9/22 जाति मीना सा0देह खातेदार को खसरा नम्बर 613 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 586/3 रकबा 0.0700 हैक्टेयर कुल किता 02 का कुल रकबा 0.2200 हैक्टेयर, जो संलग्न नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
4. मक्खनलाल पुत्र सीताराम हिस्सा 75/335 कमलेश पुत्र हनुमान हिस्सा 45/335 मोहन पुत्र हनुमान हिस्सा 45/335 विलारहन कालूराम पुत्र लक्ष्मण हिस्सा 170/335 राहिन सिंडिकेट बैंक शाखा फतेहपुरा जाति मीना सा0देह खातेदार को खसरा नम्बर 586/1 रकबा 0.0650 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 613/1 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 612/1 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 611/1 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 611 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, कुल किता 05 का कुल रकबा 0.3250 हैक्टेयर, जो संलग्न नजरी नक्शे में भूरे रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
5. कमलेश मोहन पि0 हनुमान हिस्सा 1/9 गोरीलाल पुत्र नाथू हिस्सा 8/63 चंद्रा पुत्र नाथू हिस्सा 2/21 मक्खनलाल पुत्र सीताराम हिस्सा 5/68 रामसहाय पुत्र लिछमन उर्फ लक्ष्मण हिस्सा 1/6 हरसहाय पुत्र भदया हिस्सा 53/204 विलारहन कालूराम पुत्र लक्ष्मण हिस्सा 1/6 राहिन सिंडिकेट बैंक [illegible] फतेहपुरा जाति मीना सा0 देह खातेदार को खसरा नम्बर 586/2 रकबा 0.[illegible] हैक्टेयर, खसरा नम्बर 613/2 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 612/2 रकबा 0.[illegible] हैक्टेयर, खसरा नम्बर 611/3 रकबा 0.0050 हैक्टेयर कुल किता 04 का कुल रकबा 0.0500 हैक्टेयर, जो संलग्न नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है, दी [illegible] हैं।

अन्तिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार चौमूं को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 17.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर न्यायालय पर सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:26:51 IST
Reason: SelfAttested

सीमा खेतान
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी चौमू ,जयपुर